

मंत्रिसञ्चाल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 1975

सं० का० नि० 536 (अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप-नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम 1975 है।
2. ये तत्काल लागू होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 की अनुसूची में क्रम संख्या 7 के सामने केरल राज्य से सम्बन्धित कालम 3 की प्रविष्टियों में "राजस्व बोर्ड के तृतीय सदस्य" मद के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी:—

"भू-राजस्व के प्रभारी राजस्व बोर्ड के सदस्य"

[सं० 11039/7/75-अ० भा० से० (1)]

एस० पी० मुखर्जी, संयुक्त सचिव।



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 —उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 294] नई दिल्ली, बुध्स्वतिवार, अक्टूबर 23, 1975/कार्तिक 1, 1897
No. 294] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 23, 1975/KARTIKA 1, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October 1975

G.S.R. 537(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1967, namely:—

1. (1) These rules may be called the Passports (Third Amendment) Rules, 1975.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 6 of the Passports Rules, 1967, in the second proviso, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—

“(i) furnishes to the passport authority documentary evidence to establish that he has sufficient means to maintain himself abroad; or”

[No. VI/401/53/711]

J. S. MEHTA, Addl. Secy.

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 1975

जी० एस्० आर० 537 (अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पासपोर्ट नियमावली, 1967 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम पासपोर्ट (तीसरा संशोधन) नियमावली, 1975 कहे जाएंगे।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पासपोर्ट नियमावली, 1967 के नियम 6 के दूसरे उपबन्ध में, खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाए, अर्थात् :—

“(i) संबद्ध पासपोर्ट प्राधिकारी को यह सिद्ध करने की दृष्टि से प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि उस के पास विदेश में अपने निर्वाह के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं; अथवा”

[सं० छद्/401/53/71]

जे० एस्० मेहता, अपर सचिव।